11. चुकौती

सावधि ऋण:- समुचित ऋण-स्थगन के बाद व्यवसाय के नकदी प्रवाह के अनुरूप समुचित किस्तों में चुकाया जाए।

ओवरड्राफ्ट और नकदी ऋण सीमा: माँग पर चुकाया जाए। नवीकरण और वार्षिक समीक्षा बैंक के आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार।

12. ऋण की उपलब्धता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण देश भर की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अल्प वित्त संस्थाएं लघु व्यवसाय गतिविधियों के लिए सूक्ष्म उद्यमों को वित्त दे रही हैं, वे भी मुद्रा ऋण जारी करती हैं।

माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेन्स एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)

एमएसएमई डेवलेपमेंट सेंटर , सी -11 , जी ब्लाक

बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व , मुंबई 400051

फोन 022-67221465

इ मेल: help@mudra.org.in

वेबसाइट : www.mudra.org.in

मुद्रा ऋण योजना- मुख्य विशेषताएँ

1. भारत सरकार द्वारा मुद्रा ऋण योजना आरंभ किए जाने की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण (2013) के अनुसार देश में लगभग 5.77 करोड़ लघु/सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 12 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इनमें से ज्यादातर स्वामित्व-आधारित/स्व-लेखा उद्यम हैं। 60% से अधिक इकाइयों के मालिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इनमें से अधिकतर इकाइयाँ औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे के बाहर हैं, इसलिए उन्हें या तो अनौपचारिक स्रोतों से उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है या अपने सीमित धन का इस्तेमाल करने के लिए। मुद्रा ऋण योजना इस अंतराल को पाटने के लिए बनाई गई। मुद्रा ऋण योजना का उद्देश्य पहली पीढ़ी का उद्यमी बनने के लिए इच्छुक युवाओं तथा अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए मौजूदा लघु व्यवसायियों के मनोबल में वृद्धि करना है।

2. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण

मुद्रा ऋण उन बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा अन्य पात्र वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो मुद्रा द्वारा अधिसूचित हों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को की। इसमें उन सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के मुद्रा ऋण देने की परिकल्पना की गई है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र की आय अर्जक गतिविधियों में संलग्न हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत स्वीकृत ₹5000 तक की ओवरड्राफ्ट राशि को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा ऋण निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते है:-

- ✓ ₹50,000 तक के ऋण (शिशु)
- ✓ ₹50,001 से ₹5 लाख तक के ऋण (किशोर)
- ✓ ₹5,00,001 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण (तरुण)

शिशु पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

तदनुसार, 8 अप्रैल 2015 को अथवा उसके पश्चात् दिए गए जो भी अग्रिम उक्त श्रेणी में आते हैं, उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे ऋणों के लिए आवेदन फॉर्म पर भी "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" अंकित होगा।

3. पात्र उधारकर्ता

- ✓ व्यक्ति
- ✓ स्वामित्व-आधारित प्रतिष्ठान
- ✓ भागीदारी फर्म
- ✓ प्रा. लि. कंपनी
- ✓ सार्वजनिक कंपनी
- ✓ अन्य विधिक निकाय

आवेदक को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का चूक-कर्ता नहीं होना चाहिए और उसका पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। वैयक्तिक रूप से उधार लेनेवालों को आवश्यक कौशल/अनुभव/ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ताकि वे प्रस्तावित गतिविधि संचालित कर सकें।

4. सहायता का उद्देश्य/ सहायता का स्वरूप

पात्र उधारकर्ताओं को पूंजीगत आस्तियों और/अथवा कार्यशील पूँजी/विपणन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यकता-आधारित सावधि ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा/सम्मिश्र ऋण। मुद्रा ऋण ऐसी आय-अर्जक लघु व्यवसाय गतिविधि के लिए प्रदान किए जाते हैं, जो विनिर्माण, प्रक्रमण, सेवा क्षेत्र अथवा व्यापार से संबंधित हों। परियोजना लागत का निर्धारण व्यवसाय योजना और प्रस्तावित निवेश के आधार पर होता है। मुद्रा ऋण उपभोग/ निजी जरूरतों के लिए नहीं हैं।

कार्यशील पूँजी सीमा के लिए मुद्रा ने एक नया उत्पाद "मुद्रा कार्ड" आरंभ किया है। यह रुपे प्लेटफॉर्म पर निर्मित डेबिट कार्ड है, जो लचीले तरीके से झंझटे-रहित ऋण प्रदान करता है।

5. सहायता की राशि

₹10 लाख तक, तीन श्रेणियों, यानी शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत।

6. मार्जिन/ प्रवर्तक का अंशदान

मार्जिन/प्रवर्तक का अंशदान बैंक के नीतिगत ढाँचे के अनुरूप और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के समग्र दिशा-निर्देशों पर आधारित होता है। शिशु ऋण के लिए बैंक मार्जिन पर ज़ोर नहीं देंगे।

7. ब्याज-दर

ब्याज-दरें बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रभारित की जाएंगी। किन्तु अंतिम उधारकर्ता पर लगाई जानेवाली ब्याज-दर औचित्यपूर्ण होगी। जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक मुद्रा से पुनर्वित्त लेना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा लि. द्वारा समय-समय पर सूचित की गई ब्याज-दरें निर्धारित करनी होंगी।

8. अपफ्रंट शुल्क/कार्रवाई प्रभार

बैंक अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अपफ्रंट शुल्क लगाने पर विचार कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक शिशु ऋण के लिए अपफ्रंट शुल्क/ कार्रवाई प्रभार नहीं लेते।

9. प्रतिभूति

क. उधारकर्ता को दिए गए ऋण से सृजित आस्ति तथा जिस व्यवसाय/परियोजना के लिए ऋण दिया गया है, उससे सीधे तौर से जुड़ी आस्तियों पर प्रथम प्रभार।

ख. माँग वचन पत्र (जहाँ कहीं लागू हो)।

ग. सीजीटीएमएसई (जहाँ वांछनीय लगे)/मुद्रा गारंटी कवर (जब से आरंभ हो)।

एमएसएमई क्षेत्र को उधार देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के जुलाई 01, 2014 के मास्टर परिपत्र (परिच्छेद 4.2) के ज़रिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 10 लाख तक के ऋणों के संबंध में बैंकों को अधिदेश है कि वे सूक्ष्म लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए ₹ 10 लाख तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करें। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने शाखा स्तर के कर्मचारियों को प्रेरित करें कि जहाँ कहीं वांछनीय प्रतीत हो, वे ऋण गारंटी योजना कवर प्राप्त करें।

10. सहायता की अवधि

सृजित आस्ति के आर्थिक जीवन और उत्पन्न नकदी प्रवाह के आधार पर। किन्तु मुद्रा की पुनर्वित्त सहायता अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए होगी। साथ ही, यह समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित मुद्रा निधि की शर्तों के भी अनुरूप होगी।